एसीबी ने आईआरएस को सात लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

जयपुर, 16 फरवरी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को अलवर रेंज 2 के अपर आयकर आयुक्त (आईआरएस) श्री बीएल यादव को सात लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उन्होंने परिवादी के शिक्षण संस्थाओं पर एक करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने की धमकी देकर रिश्वत मांगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी श्री धनपत सिंह, श्री अमरसिंह के साथ मिलकर अलवर में शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रहे थे। श्री धनपत सिंह चेयरमैन व श्री अमरसिंह सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। दोनों 2016 में इक़रारनामा कर अलग हो गए। इसके तहत श्री धनपत सिंह द्वारा श्री अमरसिंह को तीन करोड़ रुपए देने थे जिसमें से 30 लाख रुपए दे दिए थे। शेष दो करोड़ 70 लाख रुपए अमरसिंह को देने थे। इसी बीच इकरारनामा की कॉपी आईआरएस श्री बीएल यादव को मिल गई। श्री यादव इसके आधार पर परिवादी को एक करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने के लिए धमकाने लग गया और दस लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। सात लाख रुपए प्राप्त करने पर सहमत होते हुए परिवादी को दो घंटे में ही रिश्वत की राशि नकद एवं चैक लेकर आने को कहा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर टीम के उप अधीक्षक श्री सलेह मोहम्मद के नेतृत्व में 16 फरवरी को कार्रवाई करते हुए उक्त शिकायत का सत्यापन कर श्री बीएल यादव को सात लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया। श्री यादव ने 50 हजार रुपए नकद एवं साढ़े छह लाख रुपए के चैक परिवादी श्री धनपत सिंह से अपने कार्यालय में प्राप्त किए।

एडीजी श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि एसीबी मुख्यालय की एक टीम द्वारा आईआरएस श्री बीएल यादव के जयपुर स्थित निवास की भी तलाशी ली जा रही है एवं एसीबी द्वारा अग्रिम कार्रवाई जारी है।